

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(628)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक 9 SEP 2011

आदेश

मंत्रिमण्डलीय सचिवालय की आज्ञा क्रमांक प.5(1)मंमं/2009 दिनांक 26.04.2011 द्वारा नगरीय विकास विभाग के लिए गठित एम्पावर्ड समिति की प्रथम बैठक दिनांक 30.06.2011 में "राजस्थान नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन नीति दिनांक 19.04.2011" के प्रावधानों पर चर्चा कर नीति के संबंध में विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये। इन निर्णयों का मंत्रिमण्डल ज्ञापन क्रमांक प.3(703)/नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 13.07.2011 से मंत्रिमण्डल को अवलोकन करा दिया गया है और मंत्रिमण्डल ज्ञापन के प्रस्तावों पर मंत्रिमण्डल की आज्ञा 105/2011 दिनांक 12 अगस्त, 2011 को जारी की गयी है।

- 1 नई आवंटन नीति जारी होने से पूर्व में आवंटित की गयी भूमि के उन मामलों में जो सार्वजनिक सुविधाओं यथा सामुदायिक केन्द्र, विभिन्न समाजों के सामुदायिक छात्रावास, नशा मुक्ति केन्द्र, वृद्धाश्रम/अनाथाश्रम, पेंशनरों के लिए विश्राम गृह, रेनबसेरो, निःशक्तजन/मूक एवं बधिरों के लिए शिक्षण/प्रशिक्षण केन्द्र, सार्वजनिक प्याऊ / शौचालय / मूत्रालय, वाल्मिकी भवन, कुष्ठाश्रम, सार्वजनिक पुस्तकालय/वाचनालय तथा धर्मशाला प्रयोजन आदि हेतु आवंटन से सम्बन्धित आवंटन की दर तत्समय प्रचलित आरक्षित दर पर आधारित होगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों को देय 15 प्रतिशत राशि अतिरिक्त ली जायेगी।
- 2 संस्थाओं को पूर्व में आवंटित भूमियों एवं अब आवंटित की जाने वाली भूमियों के सम्बन्ध में नगरीय निकायो द्वारा संबंधित संस्था को 30 दिवस में राशि जमा कराने हेतु सूचित किया जावेगा। 30 दिवस में राशि जमा नहीं होने पर नगरीय निकाय राशि जमा कराने हेतु 30 दिवस का अतिरिक्त समय दे सकेगी। 60 दिवस की अवधि के पश्चात् अगले 10 महीनों में राशि जमा

- कराने पर 12 प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा तथा आवेदक संस्था द्वारा कुल 1 वर्ष की अवधि में राशि जमा न कराने पर आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। एक वर्ष की अवधि के पश्चात् राशि जमा कराने बाबत राज्य सरकार द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।
- 3 राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा आवंटन हेतु निर्धारित की गयी दर के अलावा 25 प्रतिशत उपरी व्यय, 15 प्रतिशत नगरीय निकायों को देय राशि तथा 3 प्रतिशत अन्य व्यय जोड़े जाते हैं। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भूमि के आवंटन की दर निर्धारित होने के उपरान्त निर्धारित दर के अलावा आवासन मण्डल आवंटन दर पर स्थानीय निकायों को देय 15 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से ले सकेगा। इसके अलावा अन्य कोई राशि संस्था से नहीं ली जायेगी। नीति के पैरा 5.15 के अनुसार लीज राशि आवंटित दर पर देय होगी।
- 4 नीति में बिन्दु सं. 3 (i) में उल्लेखित शिक्षण संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा के महाविद्यालय आई.टी.आई. व पॉलिटेक्निक व चिकित्सा सम्बन्धी अन्य तकनीकी विद्यालय भी शामिल होंगे।
- 5 शिक्षण संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन की श्रेणी में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पिछडा वर्ग व विशेष पिछडा वर्ग को भी सम्मिलित किया जावे।
- 6 नीति के अन्तर्गत विकसित भूमि का आवंटन आवासीय आरक्षित दर एवं अविकसित भूमि का आवंटन कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर के आधार पर किया जायेगा।
- 7 नीति के तहत रियायती दर पर किये गये समस्त आवंटन नीति में उल्लेखित शर्तों के अध्वधीन होंगे तथा इनका उल्लेख नगरीय निकाय द्वारा जारी किये जाने वाले आवंटन पत्र में आवश्यक रूप से किया जायेगा।
- उपरोक्त बिन्दु संख्या 3 के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ये प्रावधान पूर्व में आवंटित भूमि के उन प्रकरणों में भी लागू होंगे जिनमें अभी तक राशि जमा

नहीं हुयी है। जिन प्रकरणों में देय राशि जमा हो चुकी है उनको खोला नहीं जायेगा और ना ही कोई राशि ही वापस लौटायी जायेगी।

एम्पावर्ड समिति द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णयों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से


(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री उद्योग विभाग
4. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री ऊर्जा विभाग
5. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग
6. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग
7. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
9. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
7. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग
8. उप शासन सचिव, (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय), नविवि
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग
10. उप विधि परामर्शी, नविवि
11. उप नगर नियोजक, नविवि
12. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)
13. निजी/रक्षित पत्रावली।


प्रमुख शासन सचिव